यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)
संख्या – 387 / 2010 (वाद)
दिनांक – 17 / 02 / 2010
दिनांक – 30 / 01 / 2018

अनवान

1. लालुराम पिता दौला जाट निवासी दामोदरपुरा तह0– रेलमगरा
2. तुलसीराम पिता दौला जाट निवासी दामोदरपुरा तह0– रेलमगरा
3. जीतमल पिता हजारी जाट निवासी दामोदरपुरा तह0– रेलमगरा
4. मगनीराम पिता हजारी जाट निवासी दामोदरपुरा तह0– रेलमगरा
5. पृथ्वीराज पिता हजारी जाट निवासी दामोदरपुरा तह0– रेलमगरा
6. बद्रीलाल पिता हजारी जाट निवासी दामोदरपुरा तह0– रेलमगरा
7. दीपा पिता हुक्मीचन्द चमार निवासी मालीखेडा तह0– रेलमगरा
8. गोपीलाल पिता सवाईराम चमार निवासी मालीखेडा तह0– रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, चित्तौडगढ
2. सुपरिटेण्ट इंजिनियर, सिंचाई विभाग चित्तौडगढ
3. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग चित्तौडगढ
4. सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग भुपालसागर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय स्तुत किया गया कि वादीगण की खातेदारी व अधिपत्य की भूमियां ग्राम गिलुण्ड में जी संख्या 3311, 3710, 3714, 3715, 3711, 3712 कुल किता– 06 कुल रकबा 05 बीघा स्थित है। वादीगण की उक्त भूमियों में केवल मात्र खरीफ की फसल काश्त है तथा ये भूमियॉ असिंचित है। इन भूमियों के दक्षिण दिशा में वादीगण के खेत है जिनका ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है तथा वादीगण के उपर की ओर काफी न है जिनका ढलान भी दक्षिण से उत्तर की ओर है जो करीब 03 कि.मी. की दुरी तक ण की ओर स्थित भूमियों का ढलान इसी ओर है जिससे सभी खेतों का बरसाती पानी हुआ आकर वादीगण के खेत में होकर प्रतिवादी संख्या 2,3 व 4 की ओर से निर्मित गा फीडर (नहर) में गिरकर पूर्व की ओर बह जाता है एवं जब नहर नही थी उस दक्षिण की ओर बहता हुआ आगे मातृकुण्डिया बांध में चला जाता तथा जहां से गण के खेतों में नहर से गिरता है एवं उत्तर की ओर भी पाल के पास पक्की दिवार रखी है जिससे कच्ची पाल को तोडकर दक्षिण की ओर न बहे अर्थात् निवेदन करने तात्पर्य है कि जहां वादीगण के खेतों का पानी नहर में गिरता है वहां प्रतिवादीगण के निर्मित दिवार वादीगण के खेतों की मिट्टी से बनी हुई है तथा जहां नहर गिरकर

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

था वहां प्रतिवादीगण के द्वारा दिवार बना रखी है। उक्त धमाणा फीडर सिंचाई
ग द्वारा धमाणा कपासन बांध को भरने के लिए फीडर बना रखी है जो बनास नदी से
खेडा व बामनिया कला के बीच की भूमियों से न निकाल कर इस फीडर के माध्यम
माणा व कपासन बांध से पानी ले जाया जाता है जब बनास नदी मे पानी आता है एवं
का खेतों का बरसाती पानी भी इस नहर में गिरकर संबंधत तालाबों में पानी जाता
प्रतिवादीगण ने आज से 05 वर्ष पूर्व जाश्मा तालाब को भरने के लिए इस धमाणा
डर पर गेट लगाकर जाश्मा तालाब की जलपुरक नहर बनाई गई। जाश्मा तालाब में
डर का लेवल जमीन लेवल से उॅचा होने के कारण धमाणा फीडर पर गेट लगा कर गेट
बन्द कर अर्थात् धमाणा फीडर में जाने वाले पानी को लोहे के गेट को बन्द कर
श्मा तालाब की पुरक नहर में पानी डायवर्ड कर जाश्मा फीडर मे छोडा जाता है व
णा फीडर के लोहे के गेट को सलुस की सहायता से बन्द कर दिया जाता है। ऐसी
ति में गांव सिन्देसर की आरे से नदी से बहाकर लाने वाला पानी एवं बरसात का पानी
कर आता है वह पानी धमाणा फीडर में ओवर फ्लो होकर वादीगण के खेतों में भर
ता है। जब धमाणा फीडर में ही पानी बहता है तब पानी ओवर फ्लो होकर वादीगण के
तों में ओवर फ्लो नही होता लेकिन जब धमाणा फीडर के गेट से पानी बन्द कर जाश्मा
डर मे पानी छोडा जाता है तब जाश्मा के तालाब व फीडर लेवल सही नही होने से
नी की उॅचाई बढ जाती है एवं फीडर का बरसाती पानी भी ओवर फ्लो होकर वादीगण
खेतों में भर जाता है जिससे वादीगण की समुल फसलें नष्ट हो जाती है। दिनांक 15.
2006 को प्रतिवादीगण के द्वारा धमाणा फीडर के गेट को बन्द कर जाश्मा तालाब को
ने के लिए जाश्मा फीडर मे पानी छोडा गया जिससे जाश्मा फीडर में पानी का लेवल
वा होने से उचित ढलान न होने से वादीगण के खतों में धमाणा फीडर से पानी ओवर
लो होकर 300 बीघा भूमि में करीब 02 फिट से लेवल 04 फिट तक की उॅचाई मे पानी
गया जिससे वादीगण की फसलों में नुकसान कारित हुआ एवं उक्त कृत्य प्रतिवादीगण
निर्देश अथवा लोप के कारण नुकसान कारित हुआ व जाश्मा गांव के लोगों द्वारा भी
ध कृत्य किया गया जिससे प्रतिवादीगण धमाणा फीडर का बन्द कर पीन नही बहाने
वादीगण की ओर से उक्त वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण को प्रतिबंधित फरमाया जावें
वे धमाणा फीडर के गेट को बन्द कर जाश्मा फीडर मे नहर में आने वाले बरसाती
नी को नही बहावे। वादीगण का उक्त विधिक अधिकार है कि प्रतिवादीगण के लापरवाही
त्यों से अपनी फसलों की सुरक्षा हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराकर प्रतिवादीगण को
श्मा फीडर में पानी छोडने हेतु प्रतिबंधित फरमाया जावें। वर्ष 2006 में हुए नुकसान की
यी तहसीलदार रेलमगरा द्वारा तैयार करवाई गई तथा प्रतिवादीगण दिनांक 16.08.06 को
जी गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। जिससे वादीगण की फसलों के
कसान का अंकन है। वादीगण की ओर से प्रतिवादीयॉ के द्वारा कारित नुकसानी की मांग
गई किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा न तो क्षतिपूर्ति दी गई न ही कोई जवाब ही दिया गया।
नको धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस भी दिया गया जिसकी प्रति साथ संलग्न है किन्तु
तिवादीगण को सूचना पत्र प्राप्ति के बाद भी कोई जवाब नही दिया गया एवं जाश्मा
डर मे पानी छोडने की मौखिक रूप से बात कही गई जिसमें वादीगण के खेतों में पानी
वर फ्लो होने से पानी भर जाने का अन्देशा बना हुआ है। प्रतिवादीगण को जाश्मा
डर को जब तक लेवल के बारे में समुचित उपाय नही करे तब तक जाश्मा गेट को
द करना चाहिए व धमाणा फीडर के गेट को स्थाई रूप से खुला रखा जाना चाहिए
था जाश्मा फीडर पर पानी न बहाने हेतु समुचित उपाय प्रतिवादीगण द्वारा किया जाना

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

ाए किन्तु प्रतिवादीगण उपेक्षापूर्ण कृत्य कर अपने कृत्यों का निर्वहन करना चाहिए। गण का उक्त वाद हेतु दिनांक 11.05.2009 को प्रतिवादीगण को 02 माह की अवधि पंजीकृत सूचना पत्र दिया जिसकी अवधि समाप्त होने पर भी कोई जवाब नही दिया जिससे वाद हेतु दिनांक 19.07.2009 को बमुकाम गिलुण्ड होकर निरन्तर जारी है। वादीगण के द्वारा उक्त धमाणा फीडर को ओवर फ्लो व जाश्मा फीडर के डायवर्शन भी यालय आपके क्षैत्राधिकार में किए जाने की संभावना है जिससे स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा जावें। अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय डिक्री प्रदान की जावें कि प्रतिवादीगण धमाणा फीडर के गेट को बन्द कर जाश्मा डर में बरसाती पानी नही बहावें वादीगण के खेतों में धमाणा फीडर से ओवर फ्लो होकर नी न बहने दे उक्त प्रकरण में कृत्य प्रतिवादीगण उसके नोकर, प्रतिनिधि, ठेकेदार से भी करावें। दौराने वाद प्रतिवादीगण के द्वारा अपने उपेक्षा व लापरवाही का कृत्य कर दे तो दीगण को होने वाली क्षति प्रदान की जावें व आदेशात्मक अज्ञाप्ति के जरिये धमाणा डर के गेट को खुला रखा जावें।

त पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया या। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया कि वाद पत्र कलम संख्या 01 राजस्व रेकार्ड अनुसार अंकन वर्णित की हुई होना स्वीकार है। वाद त्र की कलम संख्या 02 का विवरण राजस्व रेकार्डनुसार बारानी/बीड/नहरी की श्रेणी में र्ज होना स्वीकार है साथ ही कई काश्तकारों ने बिना स्वीकृति के मनमर्जी से सिंचाई के धन अपने स्तर पर विकसीत किये जो रेकार्ड में स्वीकृति के अभाव में दर्ज नही है। वाद त्र की कलम संख्या 03 का वर्णन वादीगण ने अपनी मनमर्जी माफिक किया है स्तविकता यह है कि प्राकृतिक रूप से भूमि का ढलान एक जैसा नही है काश्तकार पने खेतों के मेड, बाड आदि से भूमि के कटाव को, पानी के बहाव को रोकने हेतु खेतों भूमि को समतल करके ही फसले बोते है। जैसे ग्वार, ज्वार, अंजवाईन एवं मक्का च्छी हकाई करके ही भूमि को अच्छी तरह से पाली करके बीज बोते है ऐसा ही वादीगण अपने खेतों से उक्त फसले लगातार लेते रहे है। जिसकी प्रमाणित प्रतियां पटवारी द्वारा वत् 2061 से 68 तक की वादीगण की जिन्सवार दर्ज रेकार्ड की प्रतियां साथ में प्रस्तुत । इससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादीगण क्लीनहेण्ड से न्यायालय में अपना वाद नही ये है। वादीगण ने नहर के निर्माण से पूर्व की स्थिति का वर्णन नही किया है। वादीगण गलत आक्षेप प्रतिवादीगण (अधिकारियों) पर लगाये है प्राकृतिक स्थिति में प्रतिवादीगण ने सी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया है। वास्तविकता यह है कि धमाणा–कपासन डर का निर्माण वर्ष 1962 में हुआ है एवं मात्रीकुण्डिया बांध का निर्माण उसके बाद वर्ष 80–81 के आसपास हुआ है। इससे वादीगण का आक्षेप अपने आप ही गलत हो जाता कि उक्त फीडर के निर्माण से पूर्व पहले का बरसाती पानी मात्रीकुण्डिया बांध में भरता उस समय जो उचित निर्णय– निर्देशानुसार ड्राईगसिट स्वीकृती के अनुरूप ही किया या है। वाद पत्र की कलम संख्या 04 का विवरण गलत होने से स्वीकार नही है प्राकृतिक रचना के अनुरूप ही बरसाती पानी का बहाव रहता है खेतों में बरसाती पानी खेतों की मि में ही हकाई के कारण उसी भूमि में पानी वहीं जमीन के अन्दर रिसता है न कि हता है कई वर्षो से बरसात की कमी के कारण श्रीमान पीने के पानी का भी अभाव हो हा है – पानी के बहाव/भराव/कटाव के आक्षेप वादीगण ने निराधार वर्णित किये है योंकि पानी वर्षा ऋतु में उतना नही बरस रहा है। धमाणा–कपासन फीडर की चैन संख्या

2/6
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

से 125 तक ही बनास नदी का पानी (बरसाती) के साथ लाया (नहर में) जाता है जो वल चैन संख्या 125 पर लगेक्रोस गेट के द्वारा ही बनास नदी का पानी भोपालसागर तालाब में डाल दिया जाता है इसलिए वादीगण का कथन पूर्ण रूप से निराधार होकर लत आरोप प्रतिवादीगण पर लगाये है यानि बनास के पानी से ये दोनो तालाब माणा–कपासन) फीडर इससे नही भरे जाते है। वाद पत्र की कलम संख्या 05 का वरण जिस रूप में वर्णित किया है वह गलत होने से स्वीकारने योग्य नही है। आरोप जो प्रतिवादीगण पर लगाये है वे मनगढन्त है व्यक्तिशः लाभ लेने के लिए उक्त कृत्य किये ाते है। ऐसा कृत्य अधिकारीगण क्यों करने लगे न तो वे स्थानीय निवासी है न उनका हॉ किसी प्रकार का सगन रिश्ते है। साथ ही कई वर्षो से बरसात औसत से भी कई गुणा म हो रही है जिसकी प्रमाणिकता पीने के पानी के स्त्रोतों का सुख जाना है। वादीगण माण फीडर पर लोहे के गेट लगाने के आरोप अधिकारियों पर लगा रहे है जबकि मौके र लोहे के गेट वहॉ पर विधमान ही नही है। साथ ही सलूस की सहायता से उसका चालन करना स्वतः ही गलत बता रहे है। जहां तक जाश्मा तालाब की जल पूरक नहर ी क्षमता धमाणा फीडर की नहर की क्षमता से 1/4 यानि चार गुणा के अन्तर की है ानि जाश्मा नहर सबसे छोटी नहर है छोटी कम क्षमता वाली नहर से बडी नहर की मता वाली पानी के बहाव की गति को ग्राहय नही है। जबकि छोटी नहर के पानी के हाव की क्षमता की बडी नहर से सरलता से समायोजित करने की क्षमता रहती है। ादीगण ने पूर्ण रूप से उल्टे गलत आरोप प्रतिवादीगण पर लगाये है जो पूर्ण रूप से लत है। अन्य सारी इबारत गलत, निराधार होने से स्वीकार नही है। विभागीय र्मचारियों/अधिकारीगण प्राकृतिक जल स्त्रोंतों से प्राप्त होने वाले बरसाती पानी का यादा से ज्यादा संरक्षण आमजन की सुविधा हेतु भविष्य के उपयोग–उपभोग एवं सिंचाई े स्त्रोतों को संग्रहीत करने को प्रयासरत है क्योंकि यह उनका दायित्व है न ही किसी को ुकसान पहूँचाने का। वाद पत्र की कलम संख्या 06 का वर्णन गलत है। तहसीलदार लमगरा द्वारा किस तरह की सूची बनाई गई उसका क्या प्रयोजन रहा आदि वह प्रति ादपत्र के साथ संलग्न प्राप्त नही होने से प्रत्युत्तर दे पाना संभव नही है। जबकि हम तिवारदीगण ने उक्त वर्षो में वादीगण द्वारा अपने उक्त खेतों में उगाई फसलों की ैदावार की जिन्सवार की प्रमाणित प्रतियॉ संवत् 2061 से 68 तक की साथ संलग्न की गई िससे भी साफ जाहिर हो जाता है कि वादीगण को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति फसल) नही हुई है बल्कि कृषि उत्पादन बढा हुआ होना प्रतीत होता है। वादीगण ने झुंठा ाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार को अनावश्यक आर्थिक भार ठाना पड रहा है। वाद पत्र की कलम संख्या 07 का विवरण गलत होने से स्वीकार योग्य हीं है किसी भी प्रकार के नोटिस की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। प्रशासनितक अधिकारीगण िसी भी प्रकार के लिखित आदेश की पालनार्थ बाध्य होते है मौखिक आदेश से किसी रह के पालना नहीं की जाती है। जबकि जाशमा फीडर का निर्माण वर्ष 2004 में हुआ है। वं उसके फिडिंग के अपने बरसाती पानी के स्त्रोत संग्रहित बहाव के है। वादीगण द्वारा ो गलत वर्णन किया है राज्य के अमूमन सभी फीडर गत 10 वर्षो के पानी के अभाव में िक्त पड़े है। विभागीय अधिकारीगण केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते है। वाद पत्र ी कलम संख्या 08 का विवरण स्वीकार नहीं है। किसी प्रकार का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ ै। वाद पत्र की कलम संख्या 09 कानूनी होने से प्रत्युत्तर वांछनिय नहीं है। वाद पत्र की लम संख्या 10 इस स्वीकार नहीं है। जाशमा, कपासन, धमाना की कृषि भुमियों का त्राधिकार, श्रवणाधिकार कपासन जिला चित्तोडगढ़ को है। केवल अन्दाज/शायद जैसे

21/8

ावित होना गलत वर्णित किये है। वाद पत्र की कलम संख्या 11 कानुनी होने से जवाब नीय नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादीगण का उपरोक्त प्रत्युत्तर से पुर्ण से स्पष्ट है कि वादीगण का वादपत्र गलत, निराधार, मनगढंत होने से सव्यय निरस्त माने का आदेश बक्षावें। वादपत्र खारिज फरमाने हेतु न्यायालय प्रतिवादीगण को वादीगण जिस प्रकार की समुचित सहायता विपक्षी वकील पारिश्रमिक की आर्थिक सहायता ीगण से दिलाने के आदेश बक्षावें। राज्य सरकार पर वादीगण ने अनावश्यक गलत–झूठे प्रस्तुत किये है ऐसी प्रवृति को प्रोत्साहन नहीं मिले।
ा एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात विरचित की गयी :–

1. आया वादीगण के खेतों का ढलान तीन किलोमीटर दुरी से दक्षिण से उत्तर की ओर है एवं प्रतिवादीगण के द्वारा धमाणा तालाब की पुरक नहर बना दी गई जिससे ढलान का प्राकृतिक बहाव अवरूद्व हो गया है। **जिम्में वादीगण**
2. आया प्रतिवादीगण के द्वारा धमाणा फीडर पर जाश्मा तालाब की जलपुरक नहर का निर्माण जमीन लेवल से उंचा होने के कारण व धमाणा फीडर का पानी गेट लगाकर बन्द कर पानी को जाश्मा फीडर में छोडे जाने पर धमाणा फीडर आवेर फ्लो होकर वादी के खेतों में पड जाता है व प्रतिवादी के उक्त कृत्य से वादीगण की फसले नष्ट हो जाती है। **जिम्मे वादीगण**
3. आया जाश्मा फीडर का लेवल जब तक ढलाननुमा नही कर दिया जाता है तब तक वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। **जिम्मे वादीगण**
4. आया प्रतिवादीगण के द्वारा अपने अभिवचन में विनिर्दिष्टता प्रत्याख्यान नही किया जिससे वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया माना जावेगा। **जिम्मे वादीगण**

ादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 लालुराम जाट, पीडब्ल्यू–02 ीतमल जाट, पीडब्ल्यू–03 पृथ्वीराज जाट के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिन पर जिरह पूर्ण ी गयी तथा दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दियों की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श–01 से लेकर 04, क्शा ट्रेस की प्रतिलिपि प्रदर्श–05, आंशिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–06, संवत् 2063 की इन मियों की खसरा गिरदावरी प्रदर्श–07 से लेकर 08, कार्यालय तहसीलदार महोदय ए0) द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द को भेजे गये पत्र की प्रमाणित तिलिपि प्रदर्श–09, दिनांक 16.09.2006 को प्रतिवादीगण के प्रतिनिधी की उपस्थिति में ाया गया मौका पर्चा प्रदर्श–10, प्रतिवादीगण को दिया गया सूचना पत्र प्रदर्श–11, टवारी हल्का गिलुण्ड द्वारा खरीफ वर्ष 2063 में खराबे की सूची प्रदर्श 12 के प्रस्तुत की ी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे के समर्थन में गवाह डीडब्ल्यू–01जयदेवसिंह ायक अभियन्ता, डीडब्ल्यू–02 विक्रमसिंह सहायक अभियन्ता के शपथ पत्र प्रस्तुत किये े जिन पर जिरह नही होने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी।

रण में उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का लोकन किया गया। प्रकरण मे तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1. तनकी संख्या 01 जिम्मेवादीगण होकर वादीगण ने अपनी उक्त तनकी के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 लालुराम जाट, पीडब्ल्यू–02 जीतमल जाट, पीडब्ल्यू–03 पृथ्वीराज जाट के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिन पर जिरह पूर्ण की गयी तथा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दियों की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श–01 से लेकर 04, नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपि प्रदर्श–05, आंशिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–06, संवत् 2063 की इन भूमियों की खसरा गिरदावरी प्रदर्श–07 से लेकर 08, कार्यालय तहसीलदार महोदय (भू0अ0) द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द को भेजे गये पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–09, दिनांक 16.08.2006 को प्रतिवादीगण के प्रतिनिधी की उपस्थिति में बनाया गया मौका पर्चा प्रदर्श–10, प्रतिवादीगण को दिया गया सूचना पत्र प्रदर्श–11, पटवारी हल्का गिलुण्ड द्वारा खरीफ वर्ष 2063 में खराबे की सूची प्रदर्श 12 के प्रस्तुत की गयी जिनका अवलोकन पर जाहिर आया कि प्रतिवादीगण के द्वारा धमाणा तालाब की पुरक नहर बना दी गई जिससे ढलान का प्राकृतिक बहाव अवरूद्व होना उपलब्ध दस्तावेज से प्रमाणित नही होता है अर्थात वादीगण अपनी उक्त तनकी को सिद्व करने में असफल रहे है जिससे उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

2. तनकी संख्या 02 जिम्मे वादीगण होकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श – 09 व 10 के अनुसार धमाणा एवं जाश्मा फीडर के गेट किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बन्द किया जाना अंकित किया गया है ना कि प्रतिवादीगण द्वारा। ऐसी स्थिति में वादीगण अपनी उक्त तनकी को सिद्व करने में असफल रहे है जिससे उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।
3. तनकी संख्या 03 जिम्में वादीगण होकर तनकी संख्या 01 व 02 के अनुसार वादीगण अपनी उक्त तनकी को सिद्व करने में असफल रहे है जिससे उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।
4. तनकी संख्या 04 जिम्में वादीगण होकर तनकी संख्या 01, 02 व 03 के अनुसार वादीगण अपनी उक्त तनकी को सिद्व करने में असफल रहे है जिससे उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्तिसिंह भाटी, आर0 ए0 एस

राजस्व वाद संख्या :– 387/2010 वाद

क्ष :–

1. लालुराम पिता दौला जाट निवासी दामोदरपुरा तह0– रेलमगरा
2. तुलसीराम पिता दौला जाट निवासी दामोदरपुरा तह0– रेलमगरा
3. जीतमल पिता हजारी जाट निवासी दामोदरपुरा तह0– रेलमगरा
4. मगनीराम पिता हजारी जाट निवासी दामोदरपुरा तह0– रेलमगरा
5. पृथ्वीराज पिता हजारी जाट निवासी दामोदरपुरा तह0– रेलमगरा
6. बद्रीलाल पिता हजारी जाट निवासी दामोदरपुरा तह0– रेलमगरा
7. दीपा पिता हुक्मीचन्द चमार निवासी मालीखेडा तह0– रेलमगरा
8. गोपीलाल पिता सवाईराम चमार निवासी मालीखेडा तह0– रेलमगरा

–: बनाम :–

वादीपक्ष :–

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, चित्तौडगढ
2. सुपरिटेण्ट इंजिनियर, सिंचाई विभाग चित्तौडगढ
3. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग चित्तौडगढ
4. सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग भुपालसागर

वा :– स्थाई निषेधाज्ञा

दी की ओर से :– अधिवक्ता– सी0एस0 शक्तावत

तेवादी की ओर से :– अधिवक्ता– के0सी0 गर्ग

में इस आशय में दिनांक 30/01/2018 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम पटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि तनकीवार वेचन के आधार पर वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है। ावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 30/01/2018 को न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से री की गयी।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा